

क्रमांक :— प. 18(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक : 2.5.13

## — आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा उनकी माँग पर विद्याधर नगर स्थित पंचम श्रेणी आवास जिस हेतु इनसे वरियता में वरिष्ठ कोई प्रतीक्षारत नहीं है को उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचम श्रेणी राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री बिहारी लाल खन्नी कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निमार्ण विभाग, जयपुर	जीए/5/टी-1/47 विद्याधर नगर	31.12.2028	19/99
2.	श्री नरेश कुमार कनिष्ठ लिपिक जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	जीए/5/टी-1/53 विद्याधर नगर	31.8.2037	82/11

## शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. यूकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करायें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को

## यह धोषणा करनी होगी :—

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मु0) जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशासी अभियन्ता, साठनिवि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि० विद्याधर नगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
9. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव